कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
संत बाबा गुरु घसीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ. ग.) - 496001
email ID - gmcraigarhhospital@gmail.com

==

क्रमांक /चिकि/ LAW-4201/953/2026-LEGAL SECTION (GMCH RAIGARH) दिनांक

प्रति,

आयुक्त
चिकित्सा शिक्षा
सेक्टर - 19, द्वितीय तल, स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर
अटल नगर (छ. ग.)

विषय - माननीय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक - WPS 3050/2026 Hitnarayan Bareth vs State of Chhattisgarh & 04 Ors. के संबंध में पारित आदेश के परिपालन हेतु दिशा - निर्देश प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ - 1. कार्यालय कलेक्टर, रायगढ़ का पत्र क्र./3356/LAW/1210-COLL RGH AS (REV) SEC रायगढ़, दिनांक 24 अप्रैल 2026.

2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्र./एफ - 12 - 1/2007/1-3 रायपुर दिनांक 05 मार्च 2008 (सर्कुलर)

==:::00:::==

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रकरण में लेख है कि श्री हितनारायण बरेठ, संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ में Dialysis Technician के रूप में आकस्मिकता निधि मद के अंतर्गत कार्यरत है। इनके द्वारा नियमितीकरण हेतु माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका दायर की गई थी। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय एवं कार्यालय कलेक्टर, रायगढ़ से प्राप्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में वस्तुस्थिति का विवरण निम्नानुसार है -

1. श्री हितनारायण बरेठ (पिता श्री भुलाउराम बरेठ) को जीवन दीप समिति मद से सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला - रायगढ़ के द्वारा जिला - चिकित्सालय रायगढ़ में निश्चित मानदेय 10,000 /- रुपये प्रति माह पर दिनांक 17.10.2014 को Dialysis Technician के पद पर कार्यादेशित किया गया था।
2. श्री हितनारायण बरेठ के आवेदन पश्चात 01-04-2017 से उनका मानदेय बढ़ाकर 15,638 /- रुपये प्रति माह कर भुगतान किया जा रहा है। यह राशि पूर्व में किरोड़ीमल शासकीय चिकित्सालय के अंतर्गत जीवन दीप समिति से भुगतान की जाती थी, परंतु वर्तमान में चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत स्वशासी समिति से भुगतान किया जा रहा है।
3. श्री हितनारायण बरेठ की सेवा में प्रति 89 दिवस पश्चात एक दिवस का सर्विस ब्रेक देकर कार्य लिया जा रहा है।
4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण WPS No. 3050 of 2026 के संबंध में दिनांक 07-04-2026 को पारित आदेश के कंडिका क्रमांक - 8 में "Taking into consideration that the petitioner is working as daily wage employee and as of now, he has completed more than 10 years continuous service; considering the above decisions of Hon'ble Supreme Court, this writ petition, at this stage, is disposed of permitting petitioner to submit fresh comprehensive representation before the respondent authorities for redressal of his grievance as raised in this writ petition. If such a representation is submitted by petitioner the respondent authorities shall consider and decide the same keeping in mind the period of service which the petitioner has completed of more than 10 years as also the decisions of Hon'ble Supreme Court on the issue of regularization of daily wage/temporary employees, in

accordance with law expeditiously, preferably within a further period of 04 months from the date of receipt of representation." आदेशित है, जो कि इस कार्यालय को 05-05-2026 को प्राप्त हुई है। जिसके अनुसार 04 माह दिनांक 05-09-2026 को पूर्ण हो रहा है।

5. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र. / एफ -12-1 / 2007/1-3 रायपुर, दिनांक 05 मार्च 2026 के बिन्दु क्रमांक 04 अनुसार "*नियमितीकरण की कार्यवाही केवल एक बार के लिए होगी।*" उल्लेखित है। उक्त परिपत्र के बिन्दु 'ब' में '*दिनांक 01-01-1989 से दिनांक 31-12-1997 तक की अवधि मे नियुक्त* ***दैनिक वेतन भोगी / तदर्थ नियुक्त*** *कर्मचारियों*' के नियमितीकरण के संबंध निर्देश वर्णित है। किन्तु श्री हितनारायण बरेठ द्वारा आकस्मिक निधि से **आपातकालीन** आवश्यकता पड़ने पर कार्य लिया गया है।
6. वर्तमान में संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय, रायगढ़ (छ. ग.) के सेटअप में Dialysis Technician (नियमित / संविदा/दैनिक वेतन भोगी) का पद स्वीकृत नहीं है।

अतः श्री हितनारायण बरेठ (Dialysis Technician) से निविदा (Outsource) कर्मचारी के रूप में कार्य लिया जा सकता है। उपरोक्त बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07-04-2026 को पारित आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा आगे की जाने वाली कार्यवाही हेतु उपयुक्त दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें जिससे समय-सीमा में उचित कार्यवाही किया जा सके एवं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना कि स्थिति निर्मित न हो।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय
रायगढ़ (छ. ग.)

पृ. क्र./चिकि./**LAW-4201/953/2026-LEGAL SECTION (GMCH RAIGARH)** दिनांक
प्रतिलिपि -

1. सचिव, छ. ग. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ. ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यालय महा अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ. ग.) कि ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, संचालनलय, चिकित्सा शिक्षा, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर - 19, स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ. ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला रायगढ़ कि ओर आप के पत्र क्र. /3356/ LAW/1210-COLL-RGH AS (REV) SEC रायगढ़ दिनांक 24 अप्रैल 2026 के परिप्रेक्ष्य में सादर सूचनार्थ।
5. अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ. ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
6. कार्यालयीन प्रति।

SD
संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय
रायगढ़ (छ. ग.)

स्थापना (लीगल)

संत बाबा गुरू घासीदास जी
स्मृ. शा. चिकित्सालय रायगढ़
आवक क्र. 7375
दिनांक 05/05/26

कार्यालय कलेक्टर, जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

Email id- raigarh.cg@nic.in

/ / ज्ञापन / /

[illegible] 210/2026-COLL RGH AS (REV) SEC रायगढ़ दिनांक 24, [illegible]

प्रति,

संयुक्त संचालक सह अधीक्षक,
स्वर्गीय श्री लखीराम अग्रवाल मेमोरियल
[illegible]
[illegible] (छ.ग.)

विषय :- माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर [illegible]
[illegible] 3050/2026 Hitnarayan Bareth Vs State of [illegible] 04 Ors.

संदर्भ :- माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा [illegible] दिनांक 07.04.2026

—o—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश का अवलोकन करें, [illegible] माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के रिट याचिका क्र. WPC [illegible]/2026 Hitnarayan Bareth Vs State of Chhattisgarh & 04 Ors. में माननीय उच्च [illegible] दिनांक 11.07.2025 को विस्तृत आदेश जारी किया गया है जो निम्नानुसार है [illegible] 8). Taking into consideration that the petitioner is working as daily wage [illegible] now, he has completed more than 10 years continuous service; considering [illegible] decisions of Hon'ble Supreme Court, this writ petition, at this stage, is [illegible] permitting petitioner to submit fresh comprehensive representation [illegible] respondent authorities for redressal of his grievance as raised in this writ petition. [illegible] a representation is submitted by petitioner the respondent authorities shall [illegible] decide the same keeping in mind the period of service which the petitioner has completed of more than 10 years as also the decisions of Hon'ble Supreme Court on the issue of regularization of daily wage/temporary employees, in accordance with law expeditiously, preferably within a further period of 04 months from the date of receipt of representation. विस्तृत आदेश की प्रति संलग्न प्रेषित है।

अतः विषयांकित याचिका के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2026 का निर्धारित समय-सीमा के भीतर नियमानुसार पालन के उपरान्त में आवश्यक करते हुए कृत कार्यवाही से शासन सहित इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
RAKESH GOLCHHA
Date: 23-04-2026
16:34:07

संयुक्त कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)

576 | High-Court 2025

2026:CGHC:15784

NAFR

HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

WPS No. 3050 of 2026

Hitnarayan Bareth S/o Shri Bhulauram Bareth Aged About 47 Years R/o Vinoba Nagar, Boirdadar, Tehsil And District Raigarh, Chhattisgarh, Presently Posted As Dialysis Technician In Late Shri Lakhiram Agrawal Memorial Hospital, Raigarh, Chhattisgarh

... Petitioner

versus

1 - The State Of Chhattisgarh Through The Secretary, Department Of Health And Family Welfare And Medical Education, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Nawa Raipur, Atal Nagar, District Raipur Chhattisgarh.

2 - The Director Directorate Of Health And Family Welfare, Indravati Bhawan, Naya Raipur, Atal Nagar, District Raipur Chhattisgarh.

3 - The Directorate Of Medical Education Through The Director, North Block, Sector 19, Swasthya Bhawan, Second Floor, Nava Raipur, Atal Nagar, Chhattisgarh.

4 - The Joint Director And Superintendent Late Shri Lakhiram Agrawal Memorial Government Medical College Associated Hospital Raigarh, District Raigarh Chhattisgarh.

5 - The Collector Raigarh District Raigarh Chhattisgarh

... Respondents

For Petitioner	:	Mr. Siddharth Pandey, Advocate
For State/ Respondents	:	Ms. Anuja Sharma, Dy. G.A.

Single Bench : Hon'ble Shri Justice Parth Prateem Sahu

Order on Board

07/04/2026

1. Learned counsel for petitioner submits that petitioner is working as a daily-wage employee with respondent No.4 since the year 2014, the representations dated 02.04.2025 and 21.08.2025 submitted by petitioner has not been considered till date, therefore, this writ petition is filed. He submits that Hon'ble Supreme Court has passed orders for regularizing services of daily wager/temporary/contract employees and therefore, this writ petition may be disposed of permitting petitioner to submit fresh representation before the respondent authorities for redress for his grievance as raised in this grounds and in turn, the respondent authorities be directed to take a decision on representation to be submitted by petitioners expeditiously within specified time.
2. Learned counsel for respondents submit that in view of limited prayer made by learned counsel for petitioner, she has no objection.
3. Heard learned counsel for the parties and perused the documents annexed along with writ petition.
4. Grievance raised by petitioner in this writ petition is that even after completion of more than 10 years of service, the respondents are not regularizing services of petitioner.
5. Hon'ble Supreme Court in case of **Narendra Kumar Tiwari & Others Versus State of Jharkhand & Others** reported in SCC

(L&S) 2018 (2) 472 considered the issue of claim of regularization of temporary/daily wages employees, who had completed 10 years of service. Further, Hon'ble Supreme Court in case of **Jaggo Versus Union of India** reported in **(2024) SCC Online SC 3826** has further observed that the government departments to lead by example in providing fair and stable employment. Engaging workers on a temporary basis for extended periods, especially when their roles are integral to the organization's functioning, not only contravenes international labour standards but also exposes the organization to legal challenges and undermines employee morale.

6. Hon'ble Supreme Court in case of **Bhola Nath Vs. The State of Jharkhand & Ors.** [SLP (Civil) No.30762 of 2024] and connected Special Leave Petitions (Civil) vide its order dated 30th January 2026 has observed that respondent -State was not justified in continuing the appellant's services on sanctioned posts for over a decade under nomenclature of contractual engagement and thereafter denying them4 consideration for regularization and have further directed for regularizing the appellants therein, in service.

7. Recently, Hon'ble Supreme Court in case of **Dharam Singh & Ors. Vs. State of UP & Anr.** (2025 SCC OnLine SC 1735) has strongly deprecated the culture of "ad-hocism" adopted by States in their capacity as employers. Hon'ble Supreme Court

also criticized the practice of outsourcing or informalizing recruitment as a means to evade regular employment obligations, observing that such measures perpetuate precarious working conditions while circumventing fair and lawful engagement practices and observed thus:

> “**17.** Before concluding, we think it necessary to recall that the State (here referring to both the Union and the State governments) is not a mere market participant but a constitutional employer. It cannot balance budgets on the backs of those who perform the most basic and recurring public functions. Where work recurs day after day and year after year, the establishment must reflect that reality in its sanctioned strength and engagement practices. The long-term extraction of regular labour under temporary labels corrodes confidence in public administration and offends the promise of equal protection. Financial stringency certainly has a place in public policy, but it is not a talisman that overrides fairness, reason and the duty to organise work on lawful lines.
>
> **18.** Moreover, it must necessarily be noted that “ad-hocism” thrives where administration is opaque. The State Departments must keep and produce accurate establishment registers, muster rolls and

outsourcing arrangements, and they must explain, with evidence, why they prefer precarious engagement over sanctioned posts where the work is perennial. If “constraint” is invoked, the record5 should show what alternatives were considered, why similarly placed workers were treated differently, and how the chosen course aligns with Articles 14, 16 and 21 of the Constitution of India. Sensitivity to the human consequences of prolonged insecurity is not sentimentality. It is a constitutional discipline that should inform every decision affecting those who keep public offices running.

x x x

20. We have framed these directions comprehensively because, case after case, orders of this Court in such matters have been met with fresh technicalities, rolling “reconsiderations,” and administrative drift which further prolongs the insecurity for those who have already laboured for years on daily wages. Therefore, we have learned that Justice in such cases cannot rest on simpliciter directions, but it demands imposition of clear duties, fixed timelines, and verifiable compliance. As a constitutional employer, the State is held to a higher standard and therefore it must organise its perennial

workers on a sanctioned footing, create a budget for lawful engagement, and implement judicial directions in letter and spirit. Delay to follow these obligations is not mere negligence but rather it is a conscious method of denial that erodes livelihoods and dignity for these workers. The operative scheme we have set here comprising of creation of supernumerary posts, full regularization, subsequent financial benefits, and a sworn affidavit of compliance, is therefore a pathway designed to convert rights into outcomes and to reaffirm that fairness in engagement and transparency in administration are not matters of grace, but obligations under Articles 14, 16 and 21 of the Constitution of India."

8. Taking into consideration that the petitioner is working as daily wage employee and as of now, he has completed more than 10 years continuous service; considering the above decisions of Hon'ble Supreme Court, this writ petition, at this stage, is disposed of permitting petitioner to submit fresh comprehensive representation before the respondent authorities for redressal of his grievance as raised in this writ petition. If such a representation is submitted by petitioner the respondent authorities shall consider and decide the same keeping in mind the period of service which the petitioner has completed of

more than 10 years as also the decisions of Hon'ble Supreme Court on the issue of regularization of daily wage/temporary employees, in accordance with law expeditiously, preferably within a further period of 04 months from the date of receipt of representation.

9. Certified copy as per rules.

Sd/-
(Parth Prateem Sahu)
Judge

Sexena

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क. एफ 12–1/2007/1–3 रायपुर, दिनांक 05 मार्च, 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़।

विषय :– दैनिक वेतन पर अथवा तदर्थ रुप से नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियमितिकरण बाबत्।

::0::

(अ) दिनांक 31.12.1988 के पूर्व के दैनिक वेतन भोगी/ तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों का नियमितिकरण :–

राज्य शासन द्वारा दिनांक 31.12.1988 के पूर्व नियुक्त उपरोक्त श्रेणी के कर्मचारियों के नियमितिकरण के लिये परिपत्र क. 16/11/88/1/वेआप्र/89 दिनांक 9 जनवरी 1990 तथा बाद में भी योग्य निर्देश प्रसारित किये गये है। सुलभ संदर्भ हेतु प्रतियॉ संलग्न है। उक्त परिपत्रों अनुसार दिनांक 31.12.1988 तक के दैनिक वेतन भोगी अथवा तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि कार्यभारित एवं आकस्मिकता सेवा में पदों की व्यवस्था नहीं है तो उन्हे नियमित स्थापना में नियुक्ति दी जाय और नियमित स्थापना में पद उपलब्ध न हो तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पद सृजित किये जाने की कार्यवाही की जाय। अतः दिनांक 31.12.1988 तक के दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में उक्त परिपत्रों में दिये गये प्रावधान अनुसार नियमितिकरण की कार्यवाही की जाय।

यह स्पष्ट किया जाता है कि अब कार्य विभागों में कार्यरत गेंगमेन/श्रमिक भी नियमितिकरण की परिधि में आवेंगे।

क्रमशः 2

(ब) दिनांक 01.01.1989 से दिनांक 31.12.1997 तक की अवधि में नियुक्त दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों का नियमितिकरण :-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरुद्ध उमादेवी एवं अन्य (2006) 4 एस. सी. सी. के प्रकरण में दिनांक 10.04.2006 को आदेश पारित कर यह सामान्य निर्देश दिया है कि केवल एक बार/एक समय के लिये 10

भोगी/तदर्थ/अस्थाई **कर्मचारियों की** अनियमित **नियुक्ति** (IRREGULAR APPOINTMENTS) को नियमित करने की कार्यवाही की जानी चाहिए।

2/ उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार कर दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ रुप से नियुक्त कर्मचारियों की नियमितिकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

i) व्यक्ति, रिक्त/स्वीकृत नियमित पद के विरुद्ध पदस्थ किया गया हो और विभागीय भरती नियमों में निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं रखता हो तो ही नियमित करने योग्य है।

ii) दैनिक वेतन पर, तदर्थ रुप से अथवा कलेक्टर दर पर (दैनिक वेतन पर) जब नियुक्ति हुई तब से अब तक उस पद की आवश्यकता रही है और आगे भी उस पद की आवश्यकता हो तो संबंधित पद के विरुद्ध ऐसे व्यक्ति को पदस्थ मानते हुए विचार किया जा सकेगा।

क्रमशः 3

//3//

iii) संबंधित व्यक्ति ने दैनिक वेतन भोगी (चाहे कलेक्टर दर पर) के रुप में अथवा तदर्थ रुप में दिनांक 31.12.1997 तक लगातार उसी पद पर या समकक्ष पद पर कार्य किया हो के संबंध में लगातार कार्य करना (सेवा देना) तब ही माना जायेगा यदि प्रत्येक वर्ष में कुल सेवा ब्रेक एक माह से अधिक की न हो। लगातार सेवा के लिये हड़ताल की अवधि सेवा में ब्रेक नहीं मानी जायेगी।

iv) दिनांक 31.12.1997 तक दैनिक वेतन पर अथवा तदर्थ नियुक्त एव कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियमितिकरण किया जाय।

v) व्यक्ति यदि कार्यभारित पदों के विरुद्ध कार्यरत है तो कार्यभारित पद पर ही नियमित किया जाए नियमित पद के विरुद्ध कार्यरत हो तो नियमित पद पर ही नियमित किया जाए।

vi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 का पालन किया जावे अर्थात दैनिक वेतन भोगी/ तदर्थ रुप में कार्यरत व्यक्ति जिस वर्ग से संबंधित है रोस्टर के अनुसार उसी बिंदु के समक्ष उसका नियमितिकरण किया जाये एवं रोस्टर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़े वर्ग के बिंदु यदि उम्मीदवार के अभाव में रिक्त रहते है तो भविष्य में होने वाली रिक्तियों की पूर्ति आरक्षित बिंदुओं के लिये प्राथमिकता के आधार पर बैकलाग की पूर्ति की तरह की जायेगी।

vii) नियमितिकरण स्वीकृत एवं रिक्त पद पर ही किया जाएगा। इस हेतु जिन विभागों में आवश्यक हो वहां सांख्येतर पद निर्मित किये जायें। यदि पद ही कलेक्टर दर पर स्वीकृत हो तो स्वीकृत पदों (दैनिक वेतन पर) को नियमित वेतनमान में परिवर्तित (सृजित) करना होगा।

क्रमशः 4

//4//

viii) परिपत्र जारी होने के बाद प्रशासकीय विभागों द्वारा नियमितिकरण के आदेश जिस दिन जारी किये जायेंगे उसी दिनांक से ही नियमित कर्मचारी माने जावेंगे। पूर्व के किसी दिनांक से नहीं। पदक्रम सूची में इनके नाम आपसी वरिष्ठता अनुसार एनब्लाक सबसे नीचे रखे जायेंगे।

ix) उपरोक्तानुसार नियमित रुप से नियुक्ति दी गई व्यक्तियों की आपसी वरिष्ठता दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी/कलेक्टर दर पर, अथवा तदर्थ रुप में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक के आधार पर निर्धारित की जावेगी। वरिष्ठताक्रम निर्धारित करते समय यदि एक से अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक में नियुक्त किये गये हो तो उनमे से जो आयु में अधिक होगा उसे वरिष्ठ माना जायेगा।

3/ माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यह उल्लेख है कि नियुक्ति ''अवैध'' न रही हो केवल ''अनियमित'' रही हो तभी नियमितीकरण के लिये विचार किया जा सकेगा। इस संबंध में अनियमित नियुक्तियां उन्हें माना जाये जिनमें नियुक्त व्यक्ति संबंधित पद के लिये सभी अर्हता रखता है परन्तु नियुक्ति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हो। ऐसे व्यक्ति नियमितिकरण हेतु पात्रता रखेगा। परन्तु यदि कोई व्यक्ति अर्हता प्राप्त नहीं है एवं उसे नियुक्त किया गया है तो ऐसी नियुक्ति अवैध नियुक्ति मानी जायेगी। **किन्तु किसी व्यक्ति ने दिनांक 31.12.1997 से पूर्व अर्हता** प्राप्त कर ली है एवं उक्त पद की अन्य शर्तों की पूर्ति करता हो तो उसे भी नियमित किया जायेगा।

4/ नियमितिकरण की यह कार्यवाही केवल एक बार के लिये होगी।

5/ भविष्य में जहां भी किसी पद की आवश्यकता लम्बे व अनिश्चित समय तक के लिये हो वहां पद कलेक्टर दर पर/दैनिक वेतन पर स्वीकृत नहीं किये जाएंगे। दैनिक वेतन/कलेक्टर दर पर उसी स्थिति में स्वीकृत किये जाएंगे जहां यह ज्ञात हो कि उस पद की आवश्यकता एक निश्चित अल्प अवधि के लिये हो और उसके

क्रमशः 5

बाद आवश्यकता नहीं होगी। भविष्य में दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ/कलेक्टर दर पर अनियमित नियुक्तियां नहीं की जायेगी। इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई है।

6/ नियमितिकरण की उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था में अधिकतम आयुसीमा में छूट रहेगी। नियुक्ति के पूर्व प्रत्येक कर्मचारी से उसकी जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाये, ताकि उसी के आधार पर उसकी सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की जा सके।

7/ शासन तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर से नियुक्त कर्मचारियों के लिये संबंधित विभाग द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक छानबीन समिति गठित की जायेगी, जिसमें संबंधित विभागाध्यक्ष, संबंधित पद के नियुक्तिकर्ता अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव के मत में आवश्यक होने पर अन्य अधिकारियों को सदस्य रखा जायेगा। समिति द्वारा नियमितिकरण संबंधी निर्धारित सिद्धांतों/प्रावधानों के प्रकाश में प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण कर उचित अनुशंसा की जायेगी। इसी प्रकार कार्यालय प्रमुख स्तर से नियुक्त कर्मचारियों के लिये कार्यालय प्रमुख स्तर पर छानबीन समिति का गठन कार्यालय प्रमुख द्वारा किया जायेगा। न्यायालय अथवा प्रशासनिक अभिकरण के आदेश से नियमित कर दिये गये व्यक्तियों/कर्मचारियों के प्रकरण इसमें सम्मिलित नहीं किये जावे। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रश्नाधीन निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जो उपर नीति/मापदण्ड उल्लेखित है उसकी परिधि में नहीं आने पर प्रकरण विचारणीय नहीं होंगे।

क्रमशः 6

//6//

8/ छानबीन समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं पर संबंधित पद के नियुक्तिकर्ता अधिकारी नियमितिकरण/नियुक्ति की कार्यवाही करेंगे। छानबीन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि नियमितिकरण केवल अनियमित नियुक्तियों की ही की जावे, अवैध नियुक्तियों का नियमितिकरण नहीं किया जाय।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.के. राय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्र. एफ 12–1/2007/1–3 रायपुर, दिनांक 05 मार्च, 2008

प्रतिलिपि :–

01. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
02. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, जीरो पाईंट, रायपुर,
03. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
04. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
05. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
06. सचिव, लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक आयोग, रायपुर,
07. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण/ राज्यमंत्रीगण, छत्तीसगढ़, रायपुर,
08. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, छ.ग. शासन, रायपुर,
09. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
10. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर,
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर,
12. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर,

क्रमशः 7

13. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर,
14. समस्त कोषालय अधिकारी/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़,
15. अवर सचिव, कर्मचारी कल्याण शाखा (कक्ष–9) सा.प्र.वि. को मान्यता प्राप्त संघों को प्रति वितरित करने हेतु अतिरिक्त 25 प्रतियां सहित प्रेषित,
16. एन. आई. सी. मंत्रालय, रायपुर की ओर वेबसाईट www.cg.Nic.in/gad पर इन्द्राज हेतु प्रेषित।
17. समस्त अनुभाग अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

दो

मध्यप्रदेश शासन

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)

क्रमांक 16/1188/1/वेआप्र/89, भोपाल, दिनांक 9 जनवरी, 1990

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,
समस्त आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—दिनांक 31-12-88 तक दैनिक वेतन पर अथवा तदर्थ रूप से नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कार्यभारित एवं आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की स्थापना में एवं जो पद इस स्थापना में स्वीकृत न हों उनकी नियमित स्थापना में नियुक्ति.

शासन द्वारा दिनांक 1-1-84 के पूर्व नियुक्त उपरोक्त श्रेणी के कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में समय-समय पर निर्देश प्रसारित किये गये हैं. विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी अथवा तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों की नियमितीकरण की समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, अब राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31-12-88 तक दैनिक वेतन पर अथवा तदर्थ रूप से नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्यभारित एवं आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को स्थापना में नियुक्त किया जाय. दैनिक वेतन भोगी अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारी यदि ऐसे पदों पर कार्य कर रहे हैं जो संबंधित विभाग की कार्यभारित एवं आकस्मिकता सेवा में सम्मिलित है तो उनका नियमितीकरण कार्यभारित एवं आकस्मिकता सेवा में ही करना चाहिए और आवश्यक होने पर इन सेवाओं में अतिरिक्त पद सृजित किए जाने चाहिए. यदि दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ कर्मचारी ऐसे पदों पर कार्यरत हैं जहां ऐसे कार्य के लिए कार्यभारित एवं आकस्मिक सेवा में पदों की व्यवस्था नहीं है तो उन्हें नियमित स्थापना में नियुक्ति दी जाय और नियमित स्थापना में पद उपलब्ध न हों तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पद सृजित किये जाने की कार्यवाही की जाय. ये आदेश डिप्लोमा/डिग्रीधारी यंत्रियों तथा शिक्षकों पर लागू नहीं होंगे. अन्य अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में नियमितीकरण की कार्यवाही इसी आदेश की परिधि में की जाएगी.

2. इसके क्रियान्वयन के लिये यह भी आवश्यक हो जाता है कि इन पांच वर्षों के दौरान निर्मित पद भी उपयोग में लिये जावें. आवश्यक होने पर नये पदों की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव भी अनुमोदन हेतु औचित्य सहित भेजे जायें.

3. पदों की भरती की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

(1) उपरोक्तानुसार नियुक्ति करने के लिये केवल कार्यरत दैनिक वेतन भोगी एवं तदर्थ कर्मचारियों तथा अराजपत्रित अधिकारियों के प्रकरणों पर विचार किया जाय और रोजगार कार्यालयों से उम्मीदवार न बुलाये जावें.

(2) उक्त नियुक्तियां करने के लिये प्रत्येक विभाग में छान बीन समितियां बनाई जायें. छान-बीन सरलता एवं शीघ्रता से हो सके, इस उद्देश्य से यांत्रिकी विभागों में, जहां अधिकांश इस प्रकार के कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, अधीक्षण यंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित की जाये. जिसमें अधीक्षण यंत्री के अलावा दो कार्यपालन यंत्री भी सम्मिलित किये जायें. इन विभागों में सूचियां मुख्य अभियंता स्तर पर क्षेत्रवार (झोन वाइज) बनाई जायें एवं नियुक्तियां भी मुख्य अभियंता के क्षेत्र (झोन) में उपलब्ध पदों पर की जाये.

अन्य विभागों के प्रकरणों में संबंधित सम्भागीय अधिकारियों की अध्यक्षता में छानबीन समितियां गठित की जायें और इस समिति के अन्य दो सदस्य उसी विभाग के दो जिला अधिकारी रहे, जिनमें से एक संबंधित इकाई/स्थापना का प्रभारी अधिकारी हो.

(3) छानबीन समिति समस्त कर्मचारियों के प्रकरणों पर विचार कर कुल सेवा अवधि के आधार पर, जिनमें से ब्रोक कम कर दिये जायेंगे, ट्रेड वाईज निर्धारित योग्यता के अनुसार चयन सूची बनायें, अर्थात् कुल की गई सेवा के आधार पर वरिष्ठता आंकी जायेगी और सूची बनाई जायेगी और उसके अनुसार नियुक्तियां दी जायेंगी. दिनां तक कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ कर्मचारियों के प्रकरणों पर पहले विचार किया जायेगा. इसके बाद ही शेष के बारे में वरिष्ठता के आधार पर कार्रवाई की जायेगी.

(4) चूंकि दैनिक वेतन भोगी एवं तदर्थ कर्मचारी लम्बी अवधि से कार्य कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में यह मानना उचि उनका कार्य संतोषजनक रहा है. इसलिये कोई लिखित परीक्षा या साक्षात्कार लेने की आवश्यकता नहीं है. सा कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन भी नहीं रखे जाते हैं, जिसके आधार पर इनके कार्य का मूल्यांकन किया जा चयन सूचियां यह मानकर तैयार की जायें कि इनका कार्य संतोषजनक रहा है.

(5) नियुक्ति के लिये संबंधित पद के लिये नियमों में निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं रखना अनिवार्य ह व्यक्तियों के पास निर्धारित योग्यताएं नहीं हैं, उनके नियमित वेतनमान में नियुक्ति पर ऐसी योग्यताएं हासिल क ही विचार किया जा सकेगा.

(6) नियुक्ति के लिये उच्चतम आयु सीमा में छूट रहेगी. नियुक्ति के पूर्व हर कर्मचारी से उसकी जन्म तिथि के संबंध पत्र प्राप्त कर लिया जायें ताकि उसी के आधार पर उनकी सूची सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की जा सके. जो अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर चुके हों अथवा कर लें उन्हें सेवा से पृथक् करने की कार्यवाही की जाये.

(7) कर्मचारियों की नियुक्तियां उनके विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर ही की जायेगी. अर्थात् किसी कर्मचारी विभाग में स्थानान्तरित कर नियुक्ति नहीं दी जायेगी. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण पहले अपने यहां के नियमितीकरण करेगा. बचे हुये पदों पर सिंचाई विभाग से सिंचाई फारमेसंस के रिक्त पदों पर प्राधिकरण से प कर्मचारी उपलब्ध करायेगा. यही प्रक्रिया वन, कृषि एवं अन्य फारमेसंस पर लागू होगी.

(8) उपरोक्तानुसार नियुक्ति करने के लिये जो पद कनिष्ठ सेवा चयन मण्डल के कार्यक्षेत्र में हैं के इस प्रयोजन के लि अलग रखा जायेगा.

(9) उक्त प्रकार नियुक्ति के लिये शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षण रखे जायेंगे.

(10) उपरोक्तानुसार नियुक्त व्यक्ति की विभाग में ज्येष्ठता नियमित नियुक्ति के आदेश की तारीख से मानी जायेगी उन व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा, जो ऐसे व्यक्ति को नियमित नियुक्ति किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती अनुसार नियमित रूप से नियुक्त किया गया था.

(11) वरिष्ठताक्रम निर्धारित करते समय यदि 2 व्यक्तियों की सेवा अवधि समान हो तो उनमें से जो आयु में अधिक ह वरिष्ठ माना जायेगा.

4. राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अधीनस्थ विभिन्न क तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अतिशेष कर्मचारियों को भी अन्य विभागों एवं कार्यालयों में नियुक्ति दी जाये इस हेतु समय-समय पर अ वाले कर्मचारियों की सूची गैस राहत विभाग से प्राप्त की जा सकती है विभागों द्वारा नियमितीकरण के लिये उपरोक्तानुसार आरम्भ की प्रक्रिया में इन अतिशेष कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जाय. यह तब ही संभव है जब किसी विभाग से अतिरिक्त पद उपलब्ध लिये आवश्यक है कि सभी विभाग अपने वर्तमान पदों की जानकारी संलग्न पत्रक एक में भेजे और अतिरिक्त पद आवश्यक हो सहित प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजें.

5. अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 337/1041/1/वेआप्र/89, दिनांक 22 नवम्बर, 1989 एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन क्रमांक 373/1/वेआप्र/89, दिनांक 23 दिसम्बर, 1989 द्वारा निर्धारित पत्रकों में जानकारी भेजने की आवश्यकता नहीं है.

6. शासन की मन्शा यह भी है कि यह कार्य 3 माह अर्थात् मार्च, 1990 के अन्त तक पूर्ण किया जाये. इसके लिये मुख्य सचिव स्तर पर हर पखवाड़े विभागों में नियमितीकरण की प्रगति का पुनरावलोकन किया जायगा. हर विभाग माह की 15 तारीख एवं 30 तारीख के संदर्भ में जानकारी संलग्न पत्रक दो में इस विभाग को पहले पखवाड़े की उसी माह की 22 तारीख तक एवं दूसरे पखवाड़े की, उसके अगले माह की 7 तारीख तक, आवश्यक रूप से अर्द्धशासकीय पत्र के साथ भेजें, ताकि निर्धारित समय पर प्रगति का पुनरावलोकन किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(एच. जी. औभराय)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.

पृष्ठांकन क्रमांक 17/11/88/1/वेआप्र/89, भोपाल, दिनांक 9 जनवरी, 1990

प्रतिलिपि :—

1. सचिव/सैनिक सचिव, राज्यपाल महोदय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
   लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
   रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण एवं महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
   अवर सचिव (स्थापना). मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल.
   अवर सचिव (अधीक्षण), मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल.

2. सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल.

3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

मध्यप्रदेश शासन
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग
(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)

क्रमांक 71/143/1/वेआप्र/90 भोपाल, दिनांक 19 फरवरी, 1990

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,
समस्त आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—दिनांक 31-12-88 तक दैनिक वेतन पर अथवा तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु टायपिंग परीक्षा में शिथिलीकरण.

इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 16-1188-1-वेआप्र-89, **दिनांक 9 जनवरी, 1990** की कंडिका 3 (5) में यह उल्लेख है कि नियमित नियुक्ति के लिये संबंधित पद के लिये नियमों में निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें रखना अनिवार्य होगा. इस शर्त के कारण निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति में कई वरिष्ठ कर्मचारियों को कठिनाई आ रही है. इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर राज्य शासन द्वारा इस विभाग **के ज्ञापन क्रमांक 146/75/1/वेआप्र/88, दिनांक 2-4-88** को अधिक्रमित करते हुये यह निर्णय लिया गया है कि हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा पास न होने पर भी कर्मचारियों की नियुक्ति रिक्त पदों के विरुद्ध कर दी जाये तथा इसमें यह शर्त रखी जाये कि नियुक्ति के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के अन्दर उन्हें मुद्रलेखन परीक्षा पास करना होगा. जब तक वे मुद्रलेखन परीक्षा पास नहीं करेंगे तब तक उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा और उनकी नियुक्ति नियमित नहीं मानी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.

पृष्ठांकन क्रमांक 72/143/1/वेआप्र/90 भोपाल, दिनांक 19 फरवरी, 1990

प्रतिलिपि :—

1. सचिव/सैनिक सचिव, राज्यपाल महोदय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
   लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
   रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण एवं महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
   अवर सचिव (स्थापना), मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल.
   अवर सचिव (अधीक्षण), मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल.
2. सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की और सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

37

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)

क्रमांक एफ 1-9/1/वेआप्र/91 भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 1991

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—दिनांक 31-12-88 तक भरती किए गए दैनिक वेतन भोगी समयपालों की कार्यभारित एवं आकस्मिकता व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की स्थापना में नियुक्ति.

संदर्भ.—इस विभाग का ज्ञापन क्र. 341/797/1/वेआप्र/88, **दिनांक 17-11-88.**

संदर्भित ज्ञापन के द्वारा दिनांक 1-1-84 से पूर्व नियुक्त दैनिक वेतन भोगी समयपालों की कार्यभारित एवं आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की स्थापना में नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में गणित विषय लेकर हायर सेकेन्ड्री परीक्षा पास होने की शर्त शिथिल की गई थी.

2. इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 16-1188/1/वेआप्र/89, **दिनांक 9-1-90,** जो दिनांक 31-12-88 तक दैनिक वेतन पर नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कार्यभारित एवं आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की स्थापना में एवं जो पद इस स्थापना में स्वीकृत न हों, उनकी नियमित स्थापना में नियुक्ति के संबंध में है, की कंडिका 3 (5) के अनुसार नियुक्ति के लिए, संबंधित पद के लिए नियमों में निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं रखना अनिवार्य हो जाने के संबंध के कारण, दैनिक वेतन भोगी समयपालों के लिए भी गणित विषय अनिवार्य हो गया था जिसके फलस्वरूप उनके नियमितीकरण में कठिनाई हो रही थी.

3. अत: दिनांक 31-12-88 तक दैनिक वेतन पर नियुक्त कार्यभारित एवं आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण में आ रही उल्लेखित कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31-12-88 के पूर्व, दैनिक वेतन पर नियुक्त, ऐसे समयपालों के नियमितीकरण के संबंध में गणित की अनिवार्यता की शर्त को शिथिल किया जावे जो हायर सेकेन्डरी तो पास हों किंतु जिन्होंने गणित विषय लेकर हायर सेकेन्डरी पास न की हो. अन्य शर्तें, जो इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 16-1188/1/वेआप्र/89, दिनांक 9 जनवरी, 1990 में दर्शाई गई है, यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता.-

(एम. एस. सिन्हा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 1-9/1/वेआप्र/91 भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 1991

प्रतिलिपि :—

1 रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर.
लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र., इन्दौर.
सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, म. प्र., भोपाल.

2. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल.
सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र., भोपाल.

3. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मंडल, म. प्र., भोपाल.

4. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण महाधिवक्ता, म. प्र., जबलपुर.

5. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.

6. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/म. प्र. सचिवालय, भोपाल की और सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)

क्रमांक एफ. 1-15/वे.आ.प्र./91/1 भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल, 1992

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—दिनांक 31-12-88 तक दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण समकक्ष पद पर नियुक्ति आदि के संबंध में.

शासन के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) के ज्ञापन क्रमांक 16-1188-1-वेआप्र-89, दिनांक 9-1-90 में दिये गये निर्देशों के अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण में, निर्धारित शैक्षणिक अर्हता या पदनाम को लेकर कठिनाइयां आ रही हैं जिसके फलस्वरूप उनका नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है. इस संबंध में पद निर्मित करने के संबंध में कई कठिनाईयां आ रही हैं.

2. इसके निवारण के लिये शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार कर, अब यह निर्णय लिया गया है कि —

(अ) यदि कोई कर्मचारी, जिस पद पर वह दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम कर रहा हो और वह समकक्ष पद पर नियुक्ति की शैक्षणिक अर्हता रखता हो, जो कि विभाग में रिक्त हो, तो उसे समकक्ष पद पर भी, ज्ञापन दिनांक 9-1-90 के अनुसार नियमित किया जा सकता है. परन्तु रिक्त पद को भरने की आवश्यकता का आकलन कर प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि रिक्त पदों को भरे जाने की वास्तव में आवश्यकता है. यदि पद किसी योजना अथवा कार्यक्रम विशेष के लिये निर्मित किये गए थे, जो अब समाप्त हो चुकी है, तो ऐसे पदों की आवश्यकता नहीं होना चाहिए.

(ब) यदि विभाग में समान वेतनमान के पद रिक्त हों और विभाग इन पदों की निरन्तरता, अब आगे आवश्यक नहीं समझता हो, तो ऐसे पद समर्पित कर, जिस पद एवं वेतनमान में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्य कर रहा है ऐसे पद वित्त विभाग की सहमति से नियमानुसार निर्मित किया जाना संभव होगा. जिस पद एवं वेतनमान में दैनिक वेतन भोगी कार्य कर रहा है उस पद की आवश्यकता का औचित्य होना आवश्यक है. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को मात्र नियमित करने की दृष्टि से पद निर्मित न कराये जायं.

3. ये निर्देश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./
(एम. एस. सिन्हा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ–1–15/वे.आ.प्र./91/1 भोपाल, दिनांक 6 3

प्रतिलिपि :—

1. सचिव/सैनिक सचिव, राज्यपाल महोदय, मध्यप्रदेश, भोपाल
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण एवं महा अधिवक्ता, म. प्र. जबलपुर.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
अवर सचिव (स्थापना), मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल.
अवर सचिव (अधीक्षण), मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल.

---

2. सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल.

---

3. महालेखाकार, म. प्र. ग्वालियर की और सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी. 3-94/1/3/92 भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 1992

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन कराया जाना.

शासन के स्पष्ट निर्देश है कि शासकीय सेवा में नियुक्त के समय नियमानुसार उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन कराया जाना आवश्यक है.

2. ऐसा ज्ञात हुआ है कि कई विभागों में नियमित नियुक्तियों के समय तो चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है किन्तु अन्य स्थितियों में (उदाहरणार्थ दैनिक वेतन भोगी आदि कर्मचारियों के नियमितीकरण के समय या अतिशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को नियुक्त करते समय) ऐसा चरित्र सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया जाता.

3. निर्देशित किया जाता है कि सभी स्थितियों में स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन कराया जाना चाहिए.

हस्ता./
(एम. एस. सिन्हा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक सी. 3-94/1/3/92 भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 1992

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
लोकायुक्त, म. प्र. भोपाल,
सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, म. प्र. भोपाल.

---

2. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल,
सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल.

---

3. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल.

4. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण

5. महाधिवक्ता, म. प्र. जबलपुर.

---

6. मुख्य मंत्रीजी/समस्त मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण के निज सचिव/निज सहायक.

7. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.

8. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. सचिवालय, भोपाल.

9. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.

की और सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./
(एम. एस. सिन्हा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)

क्रमांक 477/एफ 5-4/1/वेआप्र/92 भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर, 1992

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कार्यभारित एवं आकस्मिक स्थापना में नियमितीकरण के दिनांक से नियमित वेतनमान देने के संबंध में.

संदर्भ.— 1. इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 192/1/वेआप्र/84, दिनांक 10-5-84
2. इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 16-1188/1/वेआप्र/89, दिनांक 9 जनवरी 1990.

सन्दर्भ क्रमांक 1 में उल्लिखित ज्ञापन में कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भरती के संबंध में तथा पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने के संबंध में आवश्यक आदेश प्रसारित किये गये हैं, जिनमें पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में विभिन्न शर्तों का उल्लेख है. इनमें से एक शर्त यह भी है कि इस सेवा में कर्मचारियों की भरती प्रथम 3 साल तक कलेक्टर द्वारा निश्चित वेतन एवं उसके पश्चात् अस्थाई सदस्य मानकर पुनरीक्षित वेतनमान में की जायेगी.

2. उधर सन्दर्भ क्रमांक 2 के द्वारा दिनांक 31-12-88 तक दैनिक वेतन पर अथवा तदर्थ रूप से नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्यभारित एवं आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की स्थापना में नियुक्ति किये जाने के संबंध में इस विभाग के आदेश क्रमांक 16-1188/1/वेआप्र/89, दिनांक 9 जनवरी, 1990 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई है एवं विभिन्न शर्तों का उल्लेख किया गया है. पैरा 1 में बताई गई शर्त के कारण (अर्थात् प्रथम 3 वर्ष तक कलेक्टर द्वारा निश्चित वेतन ही दिया जाय इस बंधन के कारण वेतन निर्धारण में विसंगतियां उत्पन्न हो रही थी. अतः राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि, आदेश दिनांक 9 जनवरी, 1990 के अन्तर्गत नियमितीकरण हेतु दिनांक 1 अप्रैल, 1987 के पूर्व नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिनके द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1990 को तीन वर्ष या उससे अधिक की सेवा बतौर वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में पूर्ण कर ली हो, उन्हें उनके कार्यभारित एवं आकस्मिक निधि सेवा की स्थापना में नियमितीकरण के दिनांक से ही नियमित वेतनमान दिया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सही/-
(एम. एस. सिन्हा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्र. 478/एफ 5-4/1/वेआप्र/92 भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर, 19

प्रतिलिपि :—

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर.
   लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर.
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, म. प्र. भोपाल.

2. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल.
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल.

3. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल.
4. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण महाधिवक्ता, म. प्र. जबलपुर.
5. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.
6. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण म. प्र. सचिवालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

सही/-
(यू. एस. बिसैन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग .

सत्यप्रतिलिपि
हस्ता./-
(आर. पी. वर्मा)
अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 564 एफ-5-7/1/वेआप्र-96, भोपाल, दिनांक 20 जून 1996

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—दिनांक 31-12-88 के पूर्व की अवधि में दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमितीकरण बाबत्.

संदर्भ.—सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक 16-11-88/1/वे. आ. प्र./89, दिनांक 9-1-90.

राज्य शासन के संदर्भित ज्ञापन द्वारा दैनिक वेतन भोगी अथवा तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण के निर्देश दिये गये हैं.

2. राज्य शासन के ध्यान में आया है कि कुछ विभागों में कार्यभारित/आकस्मिकता अथवा नियमित स्थापना में पद स्वीकृत हैं, किन्तु वहां पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नहीं है, इसी प्रकार कुछ विभागों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं तो उन्हें नियमित करने हेतु पद उपलब्ध नहीं है. इस प्रकार दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण में कठिनाई आ रही है और पदों के अभाव में कतिपय विभागों में दैनिक वेतन भोगी वर्षों से नियमितीकरण की प्रतीक्षा में है. दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण में एक कठिनाई यह भी है कि एक विभाग के दैनिक वेदन भोगी को दूसरे विभाग में समान पद पर नियमितीकरण का प्रावधान नहीं है. अतः उनका नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है.

3. अतः प्रकरण में विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि :—

(1) समस्त विभागों में दिनांक 31-12-88 के पूर्व के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सूचियां तैयार की जावें जिसमें उनके बारे में विस्तृत जानकारी हो, यथा नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, दैनिक वेतन पर निरन्तर करने का दिनांक एवं दिये जाने वाला वेतन आदि सूचियां तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणीवार तथा विभागाध्यक्षवार तैयार की जाए.

(2) यदि किसी विभाग में नियमित पद उपलब्ध है और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नहीं है तो कार्य के अनुरूप दूसरे विभाग से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सूची प्राप्त की जाए एवं उनमें से उपयुक्त कर्मचारियों को छांटकर उनको विभाग में नियमित कर लिया जाए. इस प्रकार जैसे-जैसे उनका नियमितीकरण होगा संबंधित विभाग की सूची से नाम उनका कटता जायेगा, इस कार्यवाही के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिस विभाग के दैनिक वेतन भोगी दूसरे विभाग में नियुक्त हो जाते हैं, उस विभाग में दैनिक वेतन पर नियुक्ति कदापि नहीं की जाए अन्यथा उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी.

(3) दिनांक 31-12-88 के पूर्व से जो दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं और विभाग में नियमित स्थापना में पद स्वीकृत न हो तो उन्हें समकक्ष पद पर भी नियमितीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, यदि समकक्ष पदों के लिए न्यूनतम निर्धारित अर्हता वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसे समकक्ष पदों पर नियमितीकरण के लिए वित्त विभाग से पूर्वानुमति ली जावे.

(4) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को विशेष भरती अभिय अधीन की जा रही नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जावे. सर्वप्रथम नियमित करने की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/ज के सदस्यों को विचार में लिया जाकर नियमित किया जावे. यदि विभाग में आरक्षित वर्ग में दैनिक वेतन भोगी उ न हो तो अन्य विभागों में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारिय उपरोक्तानुसार सूची प्राप्त कर रिक्त पदों की पूर्ति की जाए.

4. जिला स्तर तथा संभागीय/विभागाध्यक्ष स्तर पर सूचियां तैयार किए जाने हेतु प्रोफार्मा संलग्न है.

5. शासन चाहता है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए.

हस्ता./-
(ए. एन. तिवारी)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्र. 565 एफ. 5-7/1/वेआप्र/96. भोपाल, दिनांक 20 जून 1

प्रतिलिपि :—

(1) निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर.
सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.

(2) राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल.
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल.

(3) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल.
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल.

(4) अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल.

(5) रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.

(6) महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.

(7) प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.

(8) अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी .

(9) आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(ए. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)

क्र. एफ. 5-4/1/वेआप्र/99 भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर, 1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय:—दिनांक 31-12-88 तक दैनिक वेतन पर अथवा तदर्थ रूप से नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कार्यभारित एवं आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की स्थापना में एवं जो पद इस स्थापना में स्वीकृत न हों, उनकी नियमित स्थापना में नियुक्ति बावत्.

सन्दर्भ:—सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक 16-1188-1-वेआप्र/89, दिनांक 9 जनवरी, 1990, (2) ज्ञापन क्रमांक 564/एफ. 5-7/1/वेआप्र/96, दिनांक 20-6-96, (3) ज्ञापन क्रमांक एफ. 5-7/1/वेआप्र/96, दिनांक 9-12-96 एवं (4) ज्ञापन क्रमांक एफ. 5-4-/1/वेआप्र/99, दिनांक 6-4-99.

कृपया संदर्भित ज्ञापनों का अवलोकन करें. दिनांक 31-12-88 तक दैनिक वेतन भोगी अथवा तदर्थ रूप से नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कार्यभारित एवं आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की स्थापना में एवं यदि इन स्थापनाओं में पद उपलब्ध न हों तो नियमित स्थापना में नियुक्त करने के निर्देश दिये गये हैं. इस प्रकार की नियमित नियुक्तियों में शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण करने के भी निर्देश हैं.

2. शासन के ध्यान में लाया गया है कि दिनांक 31-12-88 तक दैनिक वेतन/तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण में कुछ विभागों द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है. अत: राज्य शासन द्वारा पुन: निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31-12-88 के पूर्व के पात्र दैनिक वेतन भोगी अथवा तदर्थ/मस्टर कर्मचारियों के नियमितीकरण में शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए.

हस्ता./

(एम. के. वर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्र. एफ. 5-4/1/वेआप्र/99 भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर, 1999

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.

2. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
   महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म. प्र. भोपाल.

3. सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल.
   राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल.

4. माननीय मुख्य मंत्रीजी/उप मुख्यमंत्रीजी/मंत्रीगण एवं राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश.

5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल.

6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल.

7. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल.

8. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.

9. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

10. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म. प्र. जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.

11. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, पुस्तकालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

12. आयुक्त, जनसंपर्क, म. प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ.

13. सामान्य प्रशासन विभाग, कर्मचारी कल्याण शाखा-15 की ओर 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित कर्मचारी संघों को भेजने हेतु अग्रेषित.

14. अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, मंत्रालय, भोपाल.

हस्ता./

(आर. पी. वर्मा)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)

क्र. एफ. 5-9/1/वेआप्र/96 भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय:—दिनांक 31-12-88 के पूर्व के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करने बाबत्.

सन्दर्भ:—सा. प्र. वि. का ज्ञाप क्र (1) 16-1188/1/वेआप्र/दिनांक 9-1-90 (2) 564/5-7/1/वेआप्र/दिनांक 20-6-1996, (3) एफ 5-9/1/ वेआप्र/96, दिनांक 25-9-96 तथा 19-2-97, 15-10-97, 25-5-98 एवं 27-7-98.

शासन के संदर्भित निर्देशों द्वारा दिनांक 31-12-88 तक के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमानुसार नियमीतिकरण करने के साथ-साथ जिला कार्यालय में विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना कर विशेष अभियान चलाकर नियमितीकरण की कार्यवाही 31-8-98 तक पूर्ण कर नियमितीकरण की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में 30-9-98 तक अनिवार्य रूप से भिजवाने के निर्देश दिये गये.

2. विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा शासन के ध्यान में लाया गया है कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी कई विभागों द्वारा चयनित कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही पद रिक्त होने पर भी नहीं की जा रही है.

3. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. 5-7/1/वेआप्र/96, दिनांक 20-6-96 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विभाग में नियमित पद उपलब्ध हैं, और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नहीं हैं तो कार्य के अनुरूप दूसरे विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सूची प्राप्त कर, उनमें से उपयुक्त कर्मचारियों को छांटकर विभाग में नियमित किया जाए.

4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ. 5-3-/1/वेआप्र/97, दिनांक 15-4-98 द्वारा दिनांक 31-12-88 पूर्व के ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिनके द्वारा धारित पद का स्वरूप ऐसा है जिसमें शैक्षणिक अर्हता की आवश्यकता नहीं है, को पांचवीं कक्षा पास होने के अर्हता से छूट प्रदान की गई है.

5. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 71/143/1/वेआप्र/90, दिनांक 19-2-90 द्वारा निम्न श्रेणी लिपिक (सहायक श्रेणी-3) के पद पर कर्मचारियों के नियमितीकरण में हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा पास न होने पर भी कर्मचारियों की नियुक्ति इस शर्त पर करने के निर्देश हैं कि नियुक्ति के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के अंदर उन्हें मुद्रलेखन परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा. जब तक वे मुद्रलेखन परीक्षा पास नहीं करेंगे, तब तक उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा और उनकी नियुक्ति नियमित नहीं मानी जावेगी.

[illegible]. अतः आदेशानुसार अनुरोध है कि संदर्भित ज्ञापन के निर्देशानुसार दिनांक 31-12-88 तक नियुक्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के [illegible]करण की कार्यवाही जैसे-जैसे पद रिक्त हों, वैसे-वैसे नियमितीकरण की कार्यवाही तत्परता से कर, जानकारी शासन को भिजवाने की [illegible]ा करें.

हस्ता./

(एम. के. वर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. एफ. 5-9/1/वेआप्र/96 भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर

प्रतिलिपि :—

निबंधन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
सचिव, म. प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर.

2. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. शासन, राजभवन, भोपाल.
सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल.

3. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल.
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल.

4. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल.

5. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.

6. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म. प्र. जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.

7. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.

8. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय.

9. आयुक्त, जनसंपर्क, म. प्र. भोपाल.

10. मान्यता प्राप्त समस्त अधिकारी/कर्मचारी संघ, म. प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

हस्ता./

(आर. पी. वर्मा)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)

क्रमांक एफ. 5-2/1/वे.आ.प्र./97 भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 1998

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त/विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—दिनांक 31-12-1988 तक नियुक्त मस्टर कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की भांति नियमित करने बाबत्.

राज्य शासन द्वारा शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत मस्टर कर्मचारियों को नियमितिकरण की समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए यह निर्णय लिया है कि दिनांक 31-12-1988 तक नियुक्त मस्टर कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की भांति कार्यभारित/आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की स्थापना में रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति दी जाए. यदि कार्यभारित/आकस्मिक स्थापना में पद उपलब्ध न हों तो उन्हें नियमित स्थापना में रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाए.

2. उपरोक्त नियमितिकरण शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता में कोई छूट दिए बिना और कोई अतिरिक्त पद निर्मित किए बिना तृतीय/ ग्तुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर पात्रता के आधार पर किया जायेगा. उपरोक्तानुसार नियुक्तियों के लिए शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार नुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आरक्षण का ध्यान रखते हुए आरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा.

3. मस्टर कर्मचारियों के नियमितिकरण की अन्य प्रक्रिया दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण संबंधी सामान्य प्रशासन ।भाग के ज्ञापन क्रमांक 16-1188-1/वे.आ.प्र./89, दिनांक 9 जनवरी 1990 के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सीमा शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क एफ. 5-2/1/वे.आ.प्र./97 भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 1998

लेपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर,

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजभवन, भोपाल,
2. सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल,
3. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल.

---

1. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल.

---

1. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/इन्दौर/भोपाल/ग्वालियर.

---

1. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.

---

1. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
2. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
3. आयुक्त, जनसम्पर्क मध्यप्रदेश भोपाल,
4. अध्यक्ष/सचिव मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश.

हस्ता./-

(सीमा शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

क्रमांक एफ. 5-3/1/वेआप्र/97 भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल, 1998

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—दिनांक 31-12-88 तक के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण-शैक्षणिक अर्हता में शिथिलता.

संदर्भ.—सा. प्र. विभाग का ज्ञापन क्रमांक 339/797/1/वे.आ.प्र./88, दिनांक 17-11-88,
(2) सा. प्र. वि. का ज्ञापन क्रमांक 257/557/1/वे.आ.प्र./89, दिनांक 29-8-89,
(3) सा. प्र. वि. का ज्ञापन क्रमांक 16-1188/1/वे.आ.प्र./89, दिनांक 9-1-90.

कृपया संदर्भित ज्ञापनों का अवलोकन करें. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 17-11-1988 द्वारा दिनांक 1-1-84 पूर्व अर्थात् दिनांक 31-12-1983 तक के नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण में ऐसे कर्मचारी जो निर्धारित अर्हता नहीं रखते हैं एवं उनके द्वारा धारित पद के कार्य का स्वरूप ऐसा है, जिसमें शैक्षणिक अर्हता की आवश्यकता नहीं है, को 5वीं कक्षा पास होने की शर्त में शिथिलता दी गई है.

2. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 29-8-89 द्वारा दिनांक 31-12-1988 तक नियुक्त अनुसूचित जाति तथा जनजाति के ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जिनके द्वारा धारित पद के कार्य का स्वरूप ऐसा है जिसमें शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, के नियमितीकरण में भी 5वीं कक्षा पास होने की अर्हता को शिथिल लिया गया है.

3. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 9-1-90 द्वारा दिनांक 31-12-88 तक के नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के निर्देश दिये हैं. अत: 31-12-88 तक के नियुक्त ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो संबंधित पद की निर्धारित अर्हता नहीं रखते हैं तथा उनके द्वारा धारित पद के कार्य का स्वरूप भी ऐसा है, जिसमें शैक्षणिक अर्हता की आवश्यकता नहीं है, (जैसे स्वीपर, चौकीदार, नाई, बेरा, मिस्त्री, कुली, खल्लासी, पानीवाला, माली, रसोईया, धोबी, मसालची, हम्माल आदि) को 5वीं कक्षा पास होने की अर्हता से छूट प्रदान की जाती है, ताकि ऐसे कर्मचारियों का कार्यभारित एवं आकस्मिक व्यय की स्थापना में नियमितीकरण हो सके. ऐसे कर्मचारी का साक्षर होना जरूरी है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(एम. एम. श्रीवास्तव)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

ंक एफ. 5-3/1/वेआप्र/97 भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल, 1998

लिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर.

---

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजभवन, भोपाल,
2. सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल.

---

1. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल.

---

1. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/इन्दौर/भोपाल/ग्वालियर.

---

1. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.

---

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
3. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल.
4. अध्यक्ष/सचिव, मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश.

हस्ता./-

(एम. एम. श्रीवास्तव)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)

क्र. एफ. 5-9/1/वेआप्र/95 भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 1997.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ रूप से नियुक्त डिप्लोमाधारी/डिग्रीधारी उप यंत्रियों का नियमितीकरण.

संदर्भ.—सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक 41/54/1/वेआप्र/90, दिनांक 19 जनवरी 1990.

राज्य शासन के संदर्भित ज्ञापन द्वारा दिनांक 31-5-1987 तक, नियुक्त दैनिक वेतन/तदर्थ रूप से नियुक्त डिप्लोमाधारी/डिग्रीधारी उपयंत्रियों को नियमित करने के निर्देश हैं. जबकि शासन के ज्ञापन क्रमांक 16-1188-1/वे.आ.प्र./89, दिनांक 9 जनवरी 1990 द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतन/तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण का कट आफ डेट 31-12-1988 निर्धारित है.

2. अत: राज्य शासन ने सहानुभूतिपूर्वक विचार कर यह निर्णय लिया है कि 1-6-1987 से 31-12-1988 के बीच दैनिक वेतन पर नियुक्त डिप्लोमाधारी/डिग्रीधारी उप यंत्रियों का भी अन्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के समान नियमितीकरण करने के लिये कट आफ डेट 31-12-1988 निर्धारित की जाए. अत: अब दिनांक 31-12-1988 तक दैनिक वेतन पर नियुक्त डिप्लोमाधारी/डिग्रीधारी उप यंत्रियों के नियमितीकरण की कार्यवाही की जाए.

3. नियमितीकरण की प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग के पूर्व निर्देशानुसार होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
(आलोक श्रीवास्तव)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. एफ. 5-9/1/वेआप्र/95 भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 1997

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर.

---

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजभवन, भोपाल,
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी/पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.

---

1. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल.

---

1. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/इन्दौर/भोपाल/ग्वालियर.

---

1. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.

---

1. स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव.
2. स्टाफ आफीसर अपर मुख्य सचिव.
3. आयुक्त जनसम्पर्क मध्यप्रदेश भोपाल.
4. अध्यक्ष/सचिव मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश.

हस्ता./-

(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 5-7/वेआप्र-96, भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर, 1996.

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—दिनांक 31-12-88 के पूर्व की अवधि में दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण.

संदर्भ.—सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक 564/एफ 5-7/1/ वेआप्र/96/9 दिनांक 20 जून 1996.

कृपया संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करें. राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि संदर्भित ज्ञापन द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण में ''पिछड़ा वर्ग'' के सदस्यों को भी पात्रतानुसार नियमितीकरण में प्राथमिकता प्रदान की जाए.

हस्ता./-
(शरदचन्द्र पण्डया)
अपरसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्र एफ. 5-7/1/वेआप्र/96 भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर, 1996.

प्रतिलिपि :—

(1) निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर.
सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
सचिव, कनिष्ठ चयन सेवा बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल.

(2) राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजभवन, भोपाल.
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.

(3) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल.
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

(4) अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
(5) रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
(6) महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
(7) प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
(8) अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख मुख्य लेखाधिकारी .
(9) आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
यू. एस. बिसेन
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक सह संयुक्त संचालक,
स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)
Phone No.-07762-222979, Fax-07762-220742, E-mail-gmcraigarhhospital@gmail.com

क्रं. / स्था. / 2017 / / रायगढ़, दिनांक 10 / 04 / 2017

(239)

–:: आदेश ::–

अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ के अनुमोदन दिनांक 03.04.2017 के द्वारा श्री हित नारायण बरेठ पिता श्री भुलाउराम बरेठ अस्पताल अधीक्षक स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध किरोड़ीमल शास. चिकित्सालय रायगढ़ में दिनांक 17.10.2014 से डायलिसिस टेक्नीशियन के पद पर आकस्मिकता निधि मद से 12000/– रू. दिया जा रहा है। इन्होने दिनांक 18.03.2017 को डायलिसिस टेक्नीशियन की एकमुस्त मानदेय राशि 15638.00 रू. प्रतिमाह की दर से वृद्धि हेतु निवदेन किये जाने के कारण दिनांक 01.04.2017 से मानदेय राशि 15638.00 रू. भुगतान करने की अनुमति दी जाती है।

(हस्ताक्षर)

चिकित्सा अधीक्षक सह संयुक्त संचालक
स्व. श्री ल.अ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय
संबद्ध चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.कं. / स्था. / 2017 / 3552-55 रायगढ़, दिनांक 10/04/17

प्रतिलिपि :–

01 संचालक, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, पुराना नर्सेस हॉस्टल डी.के.एस. भवन परिसर, रायपुर छ. ग. की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

02 अधिष्ठाता, स्व. श्री ल.अ.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ छ0ग0 की ओर सूचनार्थ ।

03 लेखा–शाखा स्थानीय कार्यालय रायगढ़ की ओर सूचनार्थ ।

04 संबंधित श्री हित नारायण बरेठ की ओर सूचनार्थ

5. डायलिसिस यूनिट अस्पताल अधीक्षक स्व. लखी. अग्र. स्मृति चिकि. महा. संबद्ध कि. शा. चिकि. रायगढ़ को सूचनार्थ

(हस्ताक्षर)

चिकित्सा अधीक्षक सह संयुक्त संचालक
स्व. श्री ल.अ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय
संबद्ध चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक सह संयुक्त संचालक,
स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)
Phone No.-07762-222979, Fax-07762-220742, E-mail-gmcraigarhhospital@gmail.com

क्रं. / स्था. / 2017 / 239 / रायगढ़, दिनांक 10 / 04 / 2017

-:: आदेश ::-

अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ के अनुमोदन दिनांक 03.04.2017 के द्वारा श्री हित नारायण बरेठ पिता श्री भुलाउराम बरेठ अस्पताल अधीक्षक स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध किरोड़ीमल शास. चिकित्सालय रायगढ़ में दिनांक 17.10.2014 से डायलिसिस टेक्नीशियन के पद पर आकस्मिकता निधि मद से 12000/– रू. दिया जा रहा है। इन्होने दिनांक 18.03.2017 को डायलिसिस टेक्नीशियन की एकमुस्त मानदेय राशि 15638.00 रू. प्रतिमाह की दर से वृद्धि हेतु निवदेन किये जाने के कारण दिनांक 01.04.2017 से मानदेय राशि 15638.00 रू. भुगतान करने की अनुमति दी जाती है।

(हस्ताक्षर)
चिकित्सा अधीक्षक सह संयुक्त संचालक
स्व. श्री ल.अ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय
संबद्ध चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.कं. / स्था. / 2017 / 3552-55 रायगढ़, दिनांक 10/04/2017

प्रतिलिपि :–

01 संचालक, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, पुराना नर्सेस हॉस्टल डी.के.एस. भवन परिसर, रायपुर छ. ग. की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
02 अधिष्ठाता, स्व. श्री ल.अ.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ छ0ग0 की ओर सूचनार्थ ।
03 लेखा–शाखा स्थानीय कार्यालय रायगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
04 संबंधित श्री हित नारायण बरेठ की ओर सूचनार्थ
5. डायलिसिस यूनिट अस्पताल अधीक्षक स्व. लखी. अग्र. स्मृति चिकि. महा. संबंद्ध कि. शा. चिकि. रायगढ़ को सूचनार्थ

(हस्ताक्षर)
चिकित्सा अधीक्षक सह संयुक्त संचालक
स्व. श्री ल.अ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय
संबद्ध चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)

प्राप्त किया O/C
Hbareth
Dialy. Tech.

–:: नोट–शीट ::–

प्रभारी अधिकारीः– डॉ. ए.एम. लकड़ा
प्रभारी लिपिक :– श्रीमती ए. खलखो
दिनांक 03/4/2017

पंजीयन क्र.
शाखा – स्थापना शाखा

विषय :– डायलिसिस टेक्नीशियन की एकमुस्त मानदेय में वृद्धि किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि श्री हित नारायण बरेठ पिता श्री भूलाराम बरेठ डायलिसिस टेक्नीशियन के पद पर दिनांक 17.10.2014 से आज दिनांक तक कार्यरत है। इन्हें प्रतिमाह एकमुस्त मानदेय 12000.00 रू. प्रतिमाह की दर से प्रदाय किया जा रहा है। इन्होनें डायलिसिस टेक्नीशियन की एकमुस्त मानदेय राशि 15638.00 रू. प्रतिमाह की दर से भुगतान हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये है। यदि अनुमोदन हो तो उक्त मानदेय राशि 15638.00 रू. बढ़ाई जा सकती है।

अतः महोदय, के समक्ष टीप पत्र अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है।

प्रभारी लिपिक
[signature]

प्रशासकीय अधिकारी
[signature] 03/04/2017

श्री हित नारायण बरेठ, डायलिसिस टेक्नीशियन का कार्य अच्छा है। इन्हें दिनांक 01.04.2017 से मानदेय राशि 15638.00 किया जा सकता है

चिकित्सा अधीक्षक [signature]
Superintendent
Associated Hospital
LAM Medical Callege
Raigarh (C.G.)

अधिष्ठाता महोदय [signature]
Dean
LLAM Medical College
Raigarh (C.G.)

–:: नोट–शीट ::–

प्रभारी अधिकारीः– डॉ. ए.एम. लकड़ा
प्रभारी लिपिक :– श्रीमती ए. खलखो
दिनांक.......................................

पंजीयन क्र.
शाखा – स्थापना शाखा

विषय :– डायलिसिस टेक्नीशियन की एकमुस्त मानदेय में वृद्धि किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि श्री हित नारायण बरेठ पिता श्री भूलाराम बरेठ डायलिसिस टेक्नीशियन के पद पर दिनांक 17.10.2014 से आज दिनांक तक कार्यरत है। इन्हें प्रतिमाह एकमुस्त मानदेय 12000.00 रू. प्रतिमाह की दर से प्रदाय किया जा रहा है। इन्होनें डायलिसिस टेक्नीशियन की एकमुस्त मानदेय राशि 15638.00 रू. प्रतिमाह की दर से भुगतान हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये है। यदि अनुमोदन हो तो उक्त मानदेय राशि 15638.00 रू. बढ़ाई जा सकती है।

अतः महोदय, के समक्ष टीप पत्र अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है।

प्रभारी लिपिक
(हस्ताक्षर)

प्रशासकीय अधिकारी संबंधित कर्मचारी द्वारा अस्पताल अधीक्षक, D.K.S. Post Graduate Institute & Research Centre, Raipur द्वारा नियुक्त किये गये डायलिसिस टेक्नीशियन के कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति में 15638/- प्रदाय किया जा रहा है, छायाप्रति संलग्न किया गया है, अतः यदि सहमत हो तो कार्य की प्रकृति को देखते हुये संविदा वेतन 15638/- करने हेतु नस्ती सादर प्रस्तुत है। (हस्ताक्षर) 29/1/2027

चिकित्सा अधीक्षक (हस्ताक्षर)

अधिष्ठाता महोदय - (हस्ताक्षर)

प्रति,

अधीष्ठाता जी
स्व.ल.अ.स्मृ.चि.महा.संबद्ध
किरोड़ीमल जिला चिकित्सालय रायगढ़,
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

1760
20/03/17

विषय : डायलिसिस टेक्निशियन की एकमुस्त मानदेय में वृद्धि बावत्।

महोदय,

सनम्र निवेदन है कि, मै हितनारायण बरेठ पिता श्री भुलाउराम बरेठ, डायलिसिस टेक्निशियन के पद पर दिनांक 17.10.2014 से अब तक कार्यरत हूँ। प्रथम वर्ष 10000/– रूपये प्रतिमाह की दर से एक मुस्त मानदेय प्रदाय किया जा रहा था। एक वर्ष पूर्ण होने पर एक मुस्त मानदेय 10000/– रूपये से वृद्धि कर 12000/– रूपये प्रतिमाह की दर से प्रदाय की जा रही है।

छत्तीसगढ़ रायपुर के डी.के.एस. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर रायपुर के डायलिसिस टेक्निशियन की एक मुस्त मानदेय 15638/– रूपये प्रतिमाह की दर से प्रदाय की जा रही है।

अतः श्रीमान् जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि, मेरा एक मुस्त मानदेय में वृद्धि करने की महान कृपा करें।

संलग्न :

(1) प्रथम आदेश की छायाप्रति।
(2) डी.के.एस. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट रिसर्च सेंटर रायपुर छ.ग. आदेश की छायाप्रति।

स्थान : रायगढ़ छ.ग.
दिनांक : 18/03/17

Recommended
Dr.P.K.Gupta
Asso.Prof.(Medicine)
L.S.L.A.M.M.C.,Raigarh (C.G.)
R.N. 1109
एच.ओ.डी.
डायलिसिस यूनिट
डॉ.पी.के.गुप्ता

आवेदक
HBareth
हितनारायण बरेठ
डायलिसिस टेक्निशियन
तह.व जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

20/3/2017

प्रतिलिपि :

(1) अस्पताल अधीक्षक
(2) प्रशासनिक अधिकारी

,सिविल सर्जन सह् मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

जीवन दीप समिति जिला चिकित्सालय, रायगढ़

जी.दी.स.../2014/ 219 रायगढ़, दिनांक 17/10/2014

–:: कार्य–आदेश ::–

जिला चिकित्सालय के डायलिसीस युनिट हेतु डायलिसीस टेक्नीशयन के पद पर कार्य करने हेतु निम्नांकित शर्तो के अधीन जीवन दीप मद से रू. 10000/– (रू.दस हजार मात्र) प्रतिमाह मानदेय के अधीन कार्यग्रहण तिथि से अगामी आदेश तक कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है।

क्र.	नाम /पिता का नाम	पता	संवर्ग	पदनाम	एकमुश्त मानदेय
1	श्री हितनारायण बरेठ/ भूलाउराम	बिनोबा नगर ,बोइर दादर रायगढ , जिला रायगढ़	अनारक्षित	डायलिसीस टेक्नीशियन	10000.00/–

उपरोक्त निश्चित मानदेय निम्नलिखित शर्तों के अधीन की

01. अभ्यर्थी की सेवाए कार्यग्रहण तिथि से मान्य होगा है।
02. कार्य संतोषजनक न होने के फलस्वरूप तत्काल नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकती है ।
03. कार्य ग्रहण पश्चात से सेवा छोडने से पूर्व एक माह का लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
04. आदेश पत्र जारी होने की तिथि से 07 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है उक्त अवधि के भीतर ग्रहण नही करने पर आदेश स्वंमेव निरस्त माना जावेगा।
05. उपस्थिति के पश्चात किसी भी प्रकार की अवकाश की पात्रता नही होगी । अनुपस्थित अवधि का मानदेय नियमानुसार काटने की कार्यवाही की जावेगी।
06. उच्चाधिकारियो व्दारा दिये गये आदेशों एवं निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला – रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्र. जी.दी.स./2014/7088-91 रायगढ़, दिनांक 17/10/2014

प्रतिलिपि :–

01. कलेक्टर महोदय, रायगढ़ छ.ग. की ओर उनके दिये निर्देश के परिपालन मे सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. संबंधित कर्मचारी श्री हितनारायण बरेठ रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
04. कार्यालयीन प्रति।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला – रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय अस्पताल अधीक्षक / नोडल अधिकारी,
डी.के.एस.पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट एंव रिसर्च सेन्टर
डी.के.एस.भवन, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष कमांक 0771–2890098 Email-dkspgi@gmail.com

क./पो.ग्रे.इं.एंव रि.से./संविदा/2017/342 रायपुर दिनांक 06/03/2017

// आदेश //

संचालक चिकित्सा शिक्षा रायपुर के अनुमोदन कमांक 2628 दिनांक 28.02.2017 के अनुसार छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के परिपत्र कमांक एफ–9–1/2012/1–3 दिनांक 31.12.2012 के संविदा नियुक्ति नियम में दिये गये निर्देशानुसार निम्नलिखित उम्मीद्वार का चयन डी.के.एस.पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट एंव रिसर्च सेन्टर रायपुर में रिक्त पद के विरूद्व उनके नाम के सम्मुख दर्शित विभाग में नियमित नियुक्ति या एक वर्ष की अवधि दोनो में जो पहले हो तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क	कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग	श्रेणी	समेकित वेतन
1	श्री संदीप श्रीवास	डायलिसिस टेक्नीशियन	नेफ्रोलाजी विभाग	सामान्य	15638/-
2.	श्री संदीप लकड़ा	डायलिसिस टेक्नीशियन	नेफ्रोलाजी विभाग	अनूसूचित जनजाति	15638/-

संविदा नियुक्ति की शर्तें :–

1 छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के परिपत्र कमांक एफ–9–1/2012/1–3 दिनांक 31.12.2012 के संविदा नियुक्ति नियम के तहत शासित होंगे।

2. उक्त संविदा नियुक्ति उस पद में एक वर्ष के लिए अथवा उस पद में नियमित नियुक्ति होने तक दोनो में जो पहले हो, तक रहेगी। किसी भी समय संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन जमा कर पद से त्याग पत्र दिया जा सकेगा। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तो के अंतर्गत एक माह का वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू–राजस्व की बकाया के रूप वसूली की जावेगी।

3. उपरोक्त चयनित उम्मीद्वार को अपने स्वास्थ्य की उपयुक्तता के संबंध में संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र एक माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुपयुक्त पाये जाने पर अथवा समयावधि के पश्चात् चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा न करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

4 उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर संबंधित संस्था में अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

5. संविदा नियम 2012 के बिन्दु 15 (5) अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 13 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश का पात्र होगा, तथा वर्ष के मध्य में नियुक्ति होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिये आनुपातिक आधार पर की जाएगी।

7. छ.ग. निवासी को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण प्रत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सकें।

9. चयनित उम्मीदवार को पूर्व में कार्यरत संस्था से कार्यमुक्त होने का प्रमाण पत्र पद भार ग्रहण करते समय नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. संविदा नियुक्ति कर्मचारी को संविदा की संपूर्ण अवधि में पदस्थापना के मुख्यालय पर निवास करना अनिवार्य है अन्यथा कंडिका–5 के अनुसार एक माह की सूचना देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जायेगी।
11. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेय समाप्त मानी जावेगी।
12. उम्मीदवार के पास पद की अर्हता के अनुरूप प्रमाण पत्र उलब्ध होने के पर ही उनकी ज्वायनिंग मान्य की जावेगी।

अस्पताल अधीक्षक / नोडल अधिकारी
डी.के.एस. पोस्ट ग्रेज्युएट एंव रिसर्च सेंन्टर
डी.के.एस. भवन , रायपुर (छ.ग.)

क. / पो.ग्रे.इ.एंव रि.से. / संविदा / 2017 / 342 रायपुर दिनांक 06/03/2017
प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ.ग. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. विभागाध्यक्ष, नेफ्रोलॉजी विभाग चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधित कर्मचारी श्री शदीप [illegible] की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आदेश फाइल।

अस्पताल अधीक्षक / नोडल अधिकारी
डी.के.एस. पोस्ट ग्रेज्युएट एंव रिसर्च सेंन्टर
डी.के.एस. भवन , रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय
रायगढ़ (छ.ग.)
21 FEB 2017
अधीक्षक कलेक्टर

1246
25/02/17

प्रति,

अधीक्षक जी
स्व. ल.अ.स्मृ.चि.महाविद्यालय संबद्ध
कि.जि.चि.रायगढ़ (छ0ग0)

विषय :– एकमुस्त मानदेय वृद्धि करने हेतु।

महोदय,

सनम्र निवेदन है कि मैं हितनारायण बरेठ पिता श्री भुलाऊराम बरेठ डायलिसिस टेक्निशियन के पद पर दिनांक 17/10/2014 से अब तक कार्यरत हूँ। प्रथम नियुक्ति तिथि से डेढ़ वर्ष पूर्ण होने पर एक मुस्त मानदेय 10000/–रू. से वृद्धि कर 12000/–रू. प्रतिमाह की दर से प्रदाय की जा रही है।

अतः श्रीमान जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरा एक मुस्त मानदेय में वृद्धि करने की महान् कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी
HBareth
नाम–हितनारायण बरेठ
पदनाम – डायलिसिस टेक्निशियन

दिनांक :–
स्थान :– रायगढ़

प्रतिलिपि :
1. अधिष्ठाता स्व.ल.अ.चि.महा.वि. रायगढ़
2. कलेक्टर महोदय

758
22/02/17

Account
25/2/2017

१३५
15/02/15

प्रति,

अधीक्षक जी
स्व. ल.अ.स्मृ.चि.महाविद्यालय संबद्ध
कि.जि.चि.रायगढ़ (छ0ग0)

विषय :– एकमुस्त मानदेय वृद्धि करने हेतु।

महोदय,

सनम्र निवेदन है कि मैं हितनारायण बरेठ पिता श्री भुलाऊराम बरेठ डायलिसिस टेक्निशियन के पद पर दिनांक 17/10/2014 से अब तक कार्यरत हूँ। प्रथम नियुक्ति तिथि से डेढ़ वर्ष पूर्ण होने पर एक मुस्त मानदेय 10000/–रू. से वृद्धि कर 12000/–रू. प्रतिमाह की दर से प्रदाय की जा रही है।

अतः श्रीमान जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरा एक मुस्त मानदेय में वृद्धि करने की महान् कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी
नाम–हितनारायण बरेठ
पदनाम – डायलिसिस टेक्निशियन

दिनांक :–
स्थान :– रायगढ़

प्रतिलिपि :

1. अधिष्ठाता स्व.ल.अ.चि.महा.वि. रायगढ़
2. कलेक्टर महोदय

15/2/2017